

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 नं0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मास्टर शानु कुमार पिता-मणी भुषण सिंह ग्राम-पो0+थाना-वीरपुर जिला-बेगुसराय हौस्पिटल नं0-547796 डी	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	मुटुर देवी पति-प्रदीप साव ग्राम-बुद्धा कालोनी चकाराम मोड़, पो0-जी0पी0ओ0 थाना-बुद्धा कालोनी जिला-पटना हौस्पिटल नं0-324819 जी.	ब्रेन रोग	₹ 50,000 /--(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,30,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,30,000 /--(एक लाख तीस हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509285 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस0बी0आई0, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।

30/11/17
1/14/18

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा.आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...509285...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 20-4-16

ज्ञापांक - 485 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.4.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा०. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,


निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ,-226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 16.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम बालक प्रसाद पिता-दशरथ प्रसाद ग्राम-अदलचक पो०-अस्ता थाना-थरथरी जिला-नालंदा सी.आरन०-2015816194	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
2	नकली देवी पति-विश्वनाथ महतो ग्राम-खर्गपोखरीया पो०-पुरैना गोसाई थाना-चनपटीया जिला-प० चम्पारण सी.आरन०-2015872993	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
3	सुनील कुमार पिता-मदन कुमार ग्राम-सुन्दरपुर खरौना पो-महुअरीया थाना-जिला-शिवहर सी.आरन०-2016051725	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /-(एक लाख) स्वीकृत।
4	नीरज कुमार पिता-रामजी चौहान ग्राम-बलेसरा पो०-नेचुआ जलालपुर थाना-कुचायकोट जिला-गोपालगंज सी.आरन०-2016/090050 21/11/17	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।

5	नरेन्द्र कुमार पिता-स्व.मिथलेश प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-दरियापुर थाना-बड़हीया जिला-लखीसराय सी.आरनं0-2010033280	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	मो0 शहागीर अंसारी पिता-अब्दुल लेयाकत ग्राम-पो0-रक्सा थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर सी.आरनं0-2014365985	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	विकास कुमार पिता-विश्वनाथ भगत ग्राम+पो0-सहथा थाना-भगवानपुर जिला-वैशाली सी.आरनं0-2013047851	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
8	शिव परसन सिंह पिता-देव नारायण राउत ग्राम-भलुआरी पो0-बड़की खरारी थाना-करगहर जिला-रोहतास सी.आरनं0-2016108158	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
9	राज कुमार प्रसाद गुप्ता पिता-स्व. बाबु लाल साव ग्राम-पो0-पभेरा थाना-धनरूआ जिला-पटना सी.आरनं0-2016088775	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
10	जितेन्द्र कुमार राय पिता-जुलुम राय ग्राम-पो0-ओल्हन थाना-मढौरा जिला-सारण सी.आरनं0-2014753177	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
11	रानी देवी पति-रविन्द्र सिंह ग्राम-रामदीरी चौधरी टोला पो0-रामदीरी नकटी थाना मटीहानी पी.एस जिला-बेगुसराय सी.आरनं0-2013408692	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
12	गुड्डु सिंह पिता-राजेश्वर सिंह ग्राम-पटपरीया पो0-रूपडीह थाना-मुफसिल जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-2009014448	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत। 

13	पंचदेव साह पिता-स्व. बच्चु साह ग्राम-अमगढ़वा पो-डुमरीया थाना बेलहर जिला-बांका सी.आरनं०-2015919818	किडनी रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 16,30,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 16,30,000 /-(सोलह लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० S09288 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी० आई० डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा०. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० S09288 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक - 01-4-16

ज्ञापांक - 478 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/4/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.4.16